उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-21/790/26-1-2014-सक-1

लखनऊ : दिनांक: 15 अप्रैल, 2014

कार्यालय-ज्ञाप

निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-382/ज0जा0वि0/स्था0/2013-14, दिनांक 24 फरवरी, 2012 में की गयी संस्तुतियों के क्रम में श्री गोविन्द सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुडनोचनी, लखीमपुरखीरी, जो अधिवर्षता आयु पूर्ण कर शैक्षिक सत्र 2013-14 के मध्य सत्र में दिनांक 31-03-2014 को सेवानिवृत्त हो गये हैं, को उनके कार्य एवं दायित्वों के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-7704/26-1-1990-2जी(150)/89, दिनांक 21-01-1991 एवं शासनादेश संख्या-5717/26-1-1995-2जी(150)/89, दिनांक 19-01-1996 में उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत श्री गोविन्द सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुडनोचनी, लखीमपुरखीरी को पूर्ण शिक्षा सत्र, 2013-14 में दिनांक 30-06-2014 तक का सत्र लाभ दिये जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं।

राम गोपाल मौर्य
विशेष सचिव।

पृ0सं0-21/790(1)/26-1-2014-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषत:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0,लखनऊ को उनके पत्र संख्या-382/ज0जा0वि0/स्था0/2013-14, दिनांक 24-02-2014 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि श्री सिंह द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि 31-03-2014 के पश्चात भी शैक्षणिक कार्य किया जा रहा है, की पुष्टि होने के उपरान्त ही श्री सिंह को उक्त सत्रलाभ प्रदान किया जाय।

3- कोषाधिकारी, लखीमपुरखीरी ।

4- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुरखीरी।

5- प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक , राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुडनोचनी, लखीमपुरखीरी ।

6- श्री गोविन्द सिंह, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुडनोचनी, लखीमपुरखीरी।

7- गार्ड फाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in